

प्रेषक,

जिला आबकारी अधिकारी,
पिथौरागढ़।

सेवा में,

उप आबकारी आयुक्त, (आई०टी०)
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या- 705/जि०आब०अधि०-पिथौ०/23025-26 दिनांक मार्च 19, 2026

विषय :- वर्ष 2026-27 एवं 2027-28 (द्विवर्षीय) हेतु फुटकर दुकानों के व्यवस्थापन के सम्बन्ध में।


महोदय,

उपरोक्त विषयक आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र संख्या-2513/सात लाई०-एस-48/आब०नीति/वर्ष 2025-26 दिनांक मार्च 11, 2026 के क्रम में उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली 2025-26 (त्रिवर्षीय) के तहत जनपद अन्तर्गत अव्यवस्थापित मदिरा दुकानों एवं नवसृजित मदिरा दुकानों के व्यवस्थापन द्वितीय चरण की लॉटरी, प्रथम आवक प्रथम पावक एवं अधिकतम आफर पर नीति में निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से किये जाने हेतु विज्ञप्ति दिनांक 19.03.2026 एवं आक्युतालय से निर्गत विज्ञप्ति संख्या-25639/सात लाई०-48/आबकारी नीति-2025/देहरादून दिनांक मार्च 16, 2026 की प्रतियां संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

अतः अनुरोध है कि कृपया संलग्न प्रपत्रों/विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाईट में व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु अपलोड करने का कष्ट करें।

संलग्न-उक्तानुसार।

भवदीय


19/03/26
जिला आबकारी अधिकारी,
पिथौरागढ़।

4	सुवालख (नवसृजित)	दे०म०	10500000	105000	10395000	1575000	866250	11285000	113000	11172000	1692750	931000	21785000	435700
15	मुनस्यारी (नवसृजित)	दे०म०	10500000	105000	10395000	1575000	866250	11285022	113000	11172022	1692753	931002	21785022	435700
16	बनकोट (नवसृजित)	दे०म०	10500000	105000	10395000	1575000	866250	11285000	113000	11172000	1692750	931000	21785000	435700
17	उडियारीबैण्ड/चौकोड़ी(नवसृजित)	दे०म०	10400000	104000	10296000	1560000	858000	11183000	112000	11071000	1677450	922583	21583000	431660
18	तेजम (नवसृजित)	दे०म०	10100000	101000	9999000	1515000	833250	10877000	109000	10768000	1631550	897333	20977000	419540
19	बांसबगड़ (नवसृजित)	दे०म०	9397575	94000	9303575	1409636	775298	10168526	102000	10066526	1525279	838877	19566097	391322
	योग :-		301270661	3012000	298258661	45190599	24854889	318894121	3191000	315703121	47834118	26308591	620164778	12403296

उक्त मदिरा की दुकानों हेतु उत्तराखण्ड राज्य के नागरिकों (पात्र आवेदकों) से निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र मय शपथ पत्र एवं पहचान पत्र (आधार कार्ड व पैन कार्ड) की स्व-प्रमाणित छायाप्रति, वांछित धनराशि का हैसियत प्रमाण पत्र प्रारूप (जी०-३९) में अथवा अधिकृत आयकर वैल्यूअर द्वारा निर्गत धारित सम्यति प्रमाण-पत्र (मूल रूप में)/एफ०डी०आर० (जिलाधिकारी के नाम प्रतिश्रुत) एवं निर्धारित धरोहर धनराशि व प्रक्रिया शुल्क (नॉन रिफण्डेबल) का बैंक ड्राफ्ट (आबकारी नीति घोषित होने तिथि के बाद जारी) जो कि जिला आबकारी अधिकारी, पिथौरागढ़ के पक्ष में देय हो सहित आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। आवेदक को आवेदन पत्र के साथ गत 2 वर्ष का आई०टी०आर० प्रमाण-पत्र की सत्यापित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। 15 करोड़ या उससे अधिक की दुकान हेतु न्यूनतम वार्षिक आय 10 लाख तथा 10 करोड़ से 15 करोड़ राजस्व की दुकान हेतु न्यूनतम वार्षिक आय 07 लाख तथा 10 करोड़ से कम राजस्व वाली मदिरा दुकान हेतु न्यूनतम वार्षिक आय 05 लाख, विगत वर्ष की आई०टी०आर० प्रमाण-पत्र के अनुसार होना अनिवार्य है।

उक्त दुकानों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट www.uttrakhandexcise.org.in अथवा www.uk.nic.in एवं कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, पिथौरागढ़ तथा क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

उक्त अव्यवस्थापित एवं नव सृजित विदेशी एवं देशी मदिरा दुकानों के आवंटन के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लेने का अधिकार आबकारी आयुक्त/जिलाधिकारी/लाईसेंसिंग प्राधिकारी/आवंटन समिति का होगा।


19/03/2026
जिला आबकारी अधिकारी,
पिथौरागढ़।

कार्यालय आमकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड देहरादून।

संख्या: 25639/सात लाई-48/आमकारी नीति-2025/देहरादून: दिनांक: मार्च, 16, 2028

::सार्वजनिक विज्ञापितः::

एाद्वारा सार्व साधारण को सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड शासन आमकारी अनुभाग की अधिसूचना संख्या-170/XXIII-1/2025-04(01) /2025 दिनांक 05 मार्च, 2025 द्वारा आमकारी नीति विषयक नियमावली-वर्ष 2025-28, 2026-27 व 2027-28 (त्रिपक्षीय आमकारी नीति) के क्रम में उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-45/XXIII-1/2024/ई-80688/2025 देहरादून: दिनांक 03, फरवरी, 2026 के क्रम में आमकारी आयुक्त के पत्र संख्या-22050/सातलाई-48/व्यव0/2026-27/2027-28/साठनिर्देश/व्यवस्थापन देहरादून: दिनांक 03.02.2026 के क्रम में वितीय वर्ष 2026-27 एवं 2027-28 (द्विपक्षीय दिनांक 01.04.2026 से 31.03.2026) की अवधि हेतु अव्यवस्थापित/नवसृजित गिन्ना विदेशी मदिरा दुकानों का व्यवस्थापन लॉटरी, प्रथम आवक प्रथम पावक, अधिकतम ऑफर पर नीति में निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से किये जाने हेतु विवरण निम्नानुसार है। इच्छुक एवं अर्ह आवेदक गिन्नांकित जनपदों में मदिरा दुकानों के आवंटन हेतु गिन्नाया निर्धारित तिथि, समय एवं प्रक्रिया द्वारा आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं:-

क्र.सं०	विवरण	दिनांक
1.	फुटकर मदिरा दुकानों के व्यवस्थापन हेतु प्रथम चरण की लॉटरी हेतु आवेदन की तिथि	18.03.2026 व 19.03.2026 सांय 5 बजे तक
2.	प्रथम चरण की लॉटरी की तिथि	20.03.2026 की अपराह्न 02.00 बजे तक
3.	प्रथम चरण की लॉटरी के पश्चात अव्यवस्थापित मदिरा दुकानों के व्यवस्थापन हेतु द्वितीय चरण की लॉटरी हेतु आवेदन की तिथि	22.03.2026 को अपराह्न 02.00 बजे से प्रक्रिया की समाप्ति तक
4.	द्वितीय चरण की लॉटरी की तिथि	22.03.2026 को प्रक्रिया की समाप्ति तक
5.	द्वितीय चरण की लॉटरी के पश्चात प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धांत पर मदिरा दुकानों का आवंटन	23.03.2026 सम्पूर्ण कार्य दियस
6.	प्रथम आवक प्रथम पावक के पश्चात अधिकतम ऑफर पर मदिरा दुकान का आवंटन हेतु आवेदन एवं आवंटन की तिथि एवं समय	24.03.2026 को प्रातः 10 बजे से 5 बजे तक ऑफर प्राप्त किये जायेगे तथा प्राप्त ऑफर को आमकारी आयुक्त के अनुमोदनार्थ प्रेषित किये जायेगे।

वितीय वर्ष 2026-27 एवं 2027-28 हेतु मदिरा दुकानें जिन पर लॉटरी (प्रथम एवं द्वितीय चरण), प्रथम आवक प्रथम पावक, अधिकतम राजस्व ऑफर उपर्युक्त उल्लिखित समय सारणी के अनुसार आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं :-

जनपद	मदिरा दुकान का नाम व प्रकार
उत्तरकाशी	(1) विदेशी मदिरा दुकान आराकोट, (2) वि० म० हर्षिल/झाला (3) वि० म० सांकरी।
धम्पावत	(1) सीम चूका विदेशी मदिरा (नवसृजित) (2) बोटड़ी पनार विदेशी मदिरा (नवसृजित) (3) बालिक देशी (नवसृजित) (4) मंच देशी (नवसृजित)
उधमसिंहनगर	(1) देशी मदिरा दुकान सितारगंज चीनी मिल पीलीभीत रोड (2) दे०म०दु० मानपुर रोड (3) दे०म०दु० पूरनापुर-टेड़ाघाट (4) दे०म०दु० भगवन्तपुर अमानगढ़ रोड (5) दे०म०दु० अनाजमण्डी काशीपुर (6) दे०म०दु० धीमरखेड़ा (7) दे०म०दु० हल्दूआसाहू (8) दे०म०दु० मलसा गिरधरपुर रोड (नवसृजित) (9) दे०म०दु० जाफरपुर (नवसृजित) (10) दे०म०दु० घण्कीमोड़ (11) दे०म०दु० छिनकी किच्छा (नवसृजित) (12) दे०म०दु० बिन्दुखेड़ा रोड ग्राम दानपुर (नवसृजित) (13) दे०म०दु० पटिया कौंधा असरफ (14) दे०म०दु० बानूसी (नवसृजित) (15) दे०म०दु० निकट खुरपिया फार्म किच्छा (नवसृजित) (16) दे०म०दु० पिपलिया घौरा डैम रोड (नवसृजित) (17) दे०म०दु० निकट परमानन्दपुर (नवसृजित) (18) दे०म०दु० सकैनिया रोड (19) दे०म०दु० प्रतापपुर 17 मील रोड (नवसृजित) (20) दे०म०दु० पिपलिया (बाजपुर) (नवसृजित) (21) दे०म०दु० निकट कोसी कौंटा बाजपुर (नवसृजित) (22) दे०म०दु० दुकड़ी बिछुवा रोड नगला (23) दे०म०दु० सुन्पहर (24) दे०म०दु० बगियाघाट (नवसृजित) (25) विदेशी मदिरा दुकान किच्छा रोड सितारगंज (नवसृजित) (26) वि०म०दु० टनकपुर रोड खटीमा (नवसृजित) (27) वि०म०दु० चैती चौराहा (नवसृजित) (28) वि०म०दु० रमपुरा रुद्रपुर (नवसृजित) (29) वि०म०दु० सिसैया निकट नेशनल हाईवे सितारगंज (30) वि०म०दु० बाजपुर दौराहा (31) वि०म०दु० इन्द्रा कालोनी (नवसृजित) (32) वि०म०दु० ढकिया गुलाबो (नवसृजित) (33) वि०म०दु० रामराज रोड निकट मण्डी गेट बाजपुर (नवसृजित) (34) वि०म०दु० छोई रोड (35) वि०म०दु० धनौरी-कैलामोड़ रोड (36) वि०म०दु० सकैनिया रोड (नवसृजित) (37) वि०म०दु० धीमर खेड़ा (38) वि०म०दु० सुल्तानपुर पददी (39) वि०म०दु० निकट खुरपिया फार्म किच्छा (नवसृजित) (40) वि०म०दु० पिपलिया घौरा डैम रोड (नवसृजित) (41) वि०म०दु० नादेही (42) वि०म०दु० निकट परमानन्दपुर (नवसृजित) (43) वि०म०दु० सुन्पहर
अल्मोड़ा	(1) विदेशी मदिरा दुकान पनुवानोला (2) वि०म०दु० धौलछीना (3) वि०म०दु० जालली (4) वि०म०दु० वररला (5) वि०म०दु० जौरासी (6) वि०म०दु० दौलाघाट (नवसृजित) (7) वि०म०दु० खेड़ा (नवसृजित) (8) वि०म०दु० तिपोला (नवसृजित) (9) वि०म०दु० पनार (नवसृजित) (10) देशी मदिरा दुकान सोराल (11) दे०म०दु० पातली (नवसृजित) (12) दे०म०दु० जालली (नवसृजित)

(Handwritten Signature)

पिथौरागढ़	(1) विदेशी मदिरा दुकान डीडीघाट (2) वि०ग०दु० गुनसारी (3) वि०ग०दु० जीलजीयी (4) वि०ग०दु० बुंगापीना (5) वि०ग०दु० जीरारी (6) वि०ग०दु० गढकोट (7) वि०ग०दु० देवलथल (8) वि०ग०दु० झूनी/टिम्टा (नवसृजित) (9) वि०ग०दु० खिरमाण्डे (नवसृजित) (10) वि०ग०दु० खांकर (नवसृजित) (11) वि०ग०दु० तगाघाट (नवसृजित) (12) देशी मदिरा दुकान जीलजीयी (13) दे०ग०दु० धारयूला रोड पिथौरागढ़ (नवसृजित) (14) दे०ग०दु० जाजरगेल (नवसृजित) (15) दे०ग०दु० यलुवाकोट (नवसृजित) (16) दे०ग०दु० ओगला (नवसृजित) (17) दे०ग०दु० सुपालेख (नवसृजित) (18) दे०ग०दु० गुनस्यारी (नवसृजित) (19) दे०ग०दु० यनकोट (नवसृजित) (20) दे०ग०दु० उडियारीमण्ड/चौकोड़ी (नवसृजित) (21) दे०ग०दु० रोजग (नवसृजित) (22) दे०ग०दु० गंरागण्ड (नवसृजित)
पौड़ी गढ़वाल	(1) विदेशी मदिरा दुकान कोट (2) वि०ग०दु० नैनीडांडा (3) वि०ग०दु० पोखाल (4) वि०ग०दु० व्यासघाट/सिल्लू तल्ला/उगरारसूरोड (5) वि०ग०दु० ढागखाल (6) वि०ग०दु० दुधारखाल (7) वि०ग०दु० रामणी/भरतनगर उत्तिका (8) वि०ग०दु० करानी
नैनीताल	(1) विदेशी मदिरा दुकान नैनीताल रोड न०-3 (यजून से कालादूंगी मार्ग) (नवसृजित) (2) वि०ग०दु० काशीपुर रोड (रामनगर से काशीपुर मार्ग) (नवसृजित) (3) वि०ग०दु० रामपुर रोड (पंचायत घर से गन्ना रोन्टर मार्ग) (नवसृजित) (4) वि०ग०दु० गोहान रोड (विष्णुली से गोहान रोड) (नवसृजित) (5) वि०ग०दु० रातीघाट (नैनीताल) (नवसृजित) (6) देशी मदिरा दुकान गौलापार से चौरगलिया रोड (नवसृजित) (7) देशी मदिरा दुकान नैनीताल रोड न०-3 (यजून से कालादूंगी मार्ग) (नवसृजित) (8) देशी मदिरा दुकान मालधन रोड (निकट विदेशी मदिरा दुकान) (नवसृजित)

उक्त मदिरा की दुकानों हेतु उत्तराखण्ड शासन आबकारी अनुभाग की अधिसूचना संख्या-178/XXIII-1/2025-04(01)/2025 दिनांक 05 मार्च, 2025 द्वारा आबकारी नीति विषयक नियमावली-वर्ष 2025-26, 2026-27 व 2027-28 (त्रिवर्षीय आबकारी नीति) के प्राविधान के अनुसार पात्र आवेदकों से निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र मय शपथ पत्र एवं पहचान पत्र (आधार कार्ड व पैन कार्ड) की स्व-प्रमाणित छायाप्रति, वांछित धनराशि का हैसियत प्रमाण पत्र प्रारूप (जी०-39) में अथवा अधिकृत आयकर वैल्यूअर द्वारा निर्गत धारित सम्पत्ति प्रमाण-पत्र (मूल रूप में)/एफ०डी०आर० (जिलाधिकारी के नाम प्रतिश्रुत), आवेदन पत्र के साथ गत 2 वर्ष का आई०टी०आर० प्रमाण-पत्र की सत्यापित छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। 15 करोड़ या उससे अधिक की दुकान हेतु न्यूनतम वार्षिक आय 10 लाख तथा 10 करोड़ से 15 करोड़ राजस्व की दुकान हेतु न्यूनतम वार्षिक आय 07 लाख तथा 10 करोड़ से कम राजस्व वाली मदिरा दुकान हेतु न्यूनतम वार्षिक आय 05 लाख, पिगत वर्ष की आई०टी०आर० प्रमाण-पत्र के अनुसार होना अनिवार्य है, एवं निर्धारित धरोहर धनराशि जो कि वार्षिक निर्धारित राजस्व (EMD), (दोनों वर्षों के कुल राजस्व का 02 प्रतिशत के बराबर की धनराशि) व प्रक्रिया शुल्क ₹० 85,000 (नॉन रिफन्डेबल) का बैंक ड्राफ्ट (आबकारी नीति घोषित होने तिथि के बाद जारी) जो कि सम्बन्धित जनपद के जिला आबकारी अधिकारी, के पद नाम से देय होगा जो कि सम्बन्धित जनपद की शाखा में Payable स्वीकार किये जायेंगे। आवेदक आबकारी नीति विषयक नियमावली-2025 (त्रिवर्षीय) के उपबन्धों के अनुसार आवंटन के नियमों एवं शर्तों से भिन्न हो। दुकान आवंटन के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय आबकारी आयुक्त द्वारा लिया जायेगा। दुकानों के आवंटन के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लेने का अधिकार आबकारी आयुक्त/जिलाधिकारी/लाईसेंसिंग प्राधिकारी/आवंटन समिति का होगा। उक्त दुकानों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी विभागीय वेबसाइट www.uttrakhandexcise.org.in अथवा www.uk.nic.in व कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड, 15/1 गांधी रोड, देहरादून एवं सम्बन्धित जनपद के कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, तथा क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।

(प्रभारकर मिश्रा)
उप आबकारी आयुक्त,
कृते आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड।

संख्या-25640-44/सात लाई०-48/आबकारी नीति-2025/देहरादून: तददिनांक।
प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, आबकारी उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. समस्त अपर/संयुक्त/उप आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड।
4. समस्त जिला आबकारी अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नवीनीकरण के पर्याप्त अल्पवस्थापित मदिरा दुकानों की सूची वार्षिक राजस्व सहित एवं अन्य औपचारिकताओं के त्थीर सहित आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2025-26, 2026-27 व 2027-28 के अनुरूप विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
5. हिन्दी दैनिक समाचार पत्र अमर उजाला, दैनिक जागरण, विदुस्तान, उत्तर उजाला, पंजाब केसरी व अंग्रेजी दैनिक द. पावनियर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की उत्तराखण्ड प्रादेशिक संस्करण में दिनांक 17.03.2025 को न्यूनतम स्थान में प्रकाशित करते हुए प्रगटान हेतु विल कार्यालय आबकारी आयुक्त उत्तराखण्ड को प्रेषित करने का कष्ट करें।

(प्रभारकर मिश्रा)
उप आबकारी आयुक्त,
कृते आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड।